

सार-समाचार

अवैध देशी पिस्टल व तेज धारदार कटार सहित दो आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान दो अलग-अलग कार्यवाही करते हुए अवैध देशी पिस्टल मय जिंदा कारतूस एवं अवैध तेज धारदार कटार सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध गतिविधियों व अवैध हथियारों व उनके सप्लायर के खिलाफ कार्यवाही के लिये अभियान चलाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस उप अधीक्षक रूद्रप्रकाश शर्मा के सुपरविजन में बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए अवैध देशी पिस्टल मय जिंदा कारतूस सहित आरोपी देशराज को पकड़ा जिसने पूछताछ मे अवैध देशी पिस्टल 0007 कोहिनुर गैंग के सदस्य से लाना बताया वहीं दूसरी टीम ने कार्यवाही करते हुए तेज धारदार हथियार कटार सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि थाने के सहायक उपनिरीक्षक लतीफ मोहम्मद ने मय जाप्ता नया नोहरा क्षेत्र से चैकिंग के दौरान एक जने से अवैध देशी पिस्टल मय जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस टीम ने मौके पर आम्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए छोटा वरोदिया मवासा थाना कैथून निवासी देशराज को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि वहीं थाने के हेड कोन्स्टेबल अब्दुल हफीज ने सूचना पर मय जाप्ता कार्यवाही करते हुए अवैध तेज धारदार हथियार कटार बरामद की। पुलिस टीम ने आम्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए न्यू श्रीराम कॉलोनी निवासी आकाश नागर को गिरफ्तार किया।

संगम कला ग्रुप कोटा के विजेता प्रतिभागी राष्ट्रीय फाईनल में दिखाएंगे दम

कोटा, (निसं)। संगम कला ग्रुप, कोटा द्वारा आयोजित 41 वीं अखिल भारतीय सुगम संगीत गायन प्रतियोगिता के अंतर्गत चर्यनित प्रतिभागी अब राष्ट्रीय मंच पर अपनी सुरीली प्रतिभा का जादू बिखरने के लिए तैयार है। सुतरंग नेशनल सिंगिंग टैलेंट हंट के संभागीय स्तर पर विभिन्न वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी 23 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय फाइनल में कोटा चैंप्टर का प्रतिनिधित्व करेंगे। संस्था की महासचिव डॉ.शिल्पी सक्सेना ने बताया कि उनके नेतृत्व में सभी वर्गों के प्रथम विजेता प्रतिभागी दिल्ली में आयोजित अंतर्राज्यीय चरण और उसके पश्चता राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार सक्सेना के अनुसार सब-जूनियर फिल्म वर्ग से दीर्घांत सिंह, सब-जूनियर गैर-फिल्म वर्ग से पाखी जैन, जूनियर फिल्म वर्ग से अविका सक्सेना, जूनियर गैर-फिल्म वर्ग से आद्रिक जैन, सूनियर फिल्म वर्ग से अंकिता मिश्रा तथा सूनियर गैर-फिल्म वर्ग से निरंजन गंधर्व ने प्रथम स्थान प्राप्त कर कोटा का गौरव बढ़ाया है। सभी प्रतिभागी आज कोटा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध गजल गायक पद्मश्री हरिहरन होंगे।

सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्पन्न

कोटा, (निसं)। श्री श्याम सेवा समिति, कोटा के तत्वावधान में उम्मेद सिंह स्टेडियम नयापुरा कोटा में आयोजित हुवा भव्य सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता और उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हुआ। संयोजक मेशर कुमार बट्ट ने बताया कि इस सम्मेलन में वैदिक मंत्रोच्चारण, शहनाई की मधुर ध्वनि एवं मंगलगीतों के बीच नवविवाहित जोड़ों ने सात फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। अध्यक्ष दीपक ने कहा सम्मेलन का उद्देश्य समाज में एकता और समानता का संदेश देना, विवाह में होने वाले अनावश्यक खर्चों को कम करना तथा जरूरतमंद परिवारों को निम्नानुपूर्वक सहायता प्रदान करना रहा। संत मदनराम महाराज व संत बंशी लाल महाराज द्वारा नवदम्पतियों को खुशाल गृहस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया गया। शहर के गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमुदाय ने आयोजन की भूरि-भूरि प्रशंसा की। कोषाध्यक्ष अनिल ने सभी सहयोगकर्ताओं, भागशाही एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी समाजहित के ऐसे आयोजन निरंतर किए जाते रहेंगे। इस अवसर मोनू सरसिया, अनिल गोयर, गोतु, अजय अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अवैध देशी पिस्टल सहित गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कैथून पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध देशी पिस्टल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध हथियारों की तस्करी पर रोकथाम के लिये ग्रामीण पुलिस टीम द्वारा अपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि कैथून थानाधिकारी मनोज सिकरवार ने मय जाप्ता इलाके में गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए एक जने पर संदेह होने पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अवैध देशी पिस्टल बरामद की। पुलिस टीम ने मौके पर आम्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए थाना कैथून के मेघवाल बस्ती भीमपुरा निवासी शोयब (32) को गिरफ्तार किया, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

कैम्पस प्लेसमेंट शिविर 24 फरवरी को

रामगंजमंडी, (निसं)। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खैराबाद में कैम्पस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन 24 फरवरी मंगलवार को किया जा रहा है। सहायक निदेशक (प्रशि.) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद राकेश मेठी ने बताया कि कैम्पस प्लेसमेंट में बेरोजगार युवाओं को निजी कम्पनियों के माध्यम से रोजगार दिलाए जाने के साथ ही विभिन्न युवाओं द्वारा युवाओं को विभाग की कल्याणकारी योजनाओं एवं बेरोजगार युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में आरएसएलडीसी के माध्यम से नैतिक विकास में प्रशिक्षण की जानकारी प्रदान की जाएगी। ताकि ये युवा अपने हाथ में हुनर लेकर अपनी आजीविका चला सकें।

अतिवृष्टि से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

छबड़ा (निसं)। कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हूए पुकसान की भरपाई की मांग की। कांग्रेस नेता दीपक त्यागी के नेतृत्व में र्दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि छबड़ा-छीपाबडौद क्षेत्र में अचानक हुई ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। ज्ञापन में खराबे से कई सरकार किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की गई। अन्यथा प्रदर्शन की चेतावनी दी है। यहां हरिराम मीणा, जगदीश गौड़, नितिन मालव, रवि लोधा और फूलसिंह मीणा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

शिव महापुराण की कथा 22 से शुरू

कोटा, (निसं)। कृष्णावत तिवाड़ी परिवार की ओर सात दिवसीय शिवमहापुराण का शान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक बनवारी लाल ने बताया कि कथा का आयोजन महावीर नगर द्वितीय में शुभम स्पोर्ट्स पार्क में किया जाएगा। कथा 22 फरवरी रविवार से 28 फरवरी तक दोपहर 2 बजे से 5.30 बजे तक की जाएगी। शिव महापुराण कथा में अयोध्या धाम के प्रसिद्ध व्यास पीठ कथावाचक आचार्य राधव द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। आयोजक ने बताया कि इस मौके पर अधिक से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहेंगे।

चिराग जेठवानी का सम्मान किया

कोटा, (निसं)। मध्यप्रदेश के भोपाल में आयोजित लौहपुरुष (आयरन मैन) ट्रायथलॉन को अठार घंटे 15 मिनट में पूरा कर उपलब्धि हासिल करने वाले कोटा के स्टेशन इलाके के निवासी चिराग जेठवानी का एक समारोह में स्टेशन स्थित श्री ब्रुलेलाल सिन्धी पंचायत की ओर से सम्मान किया गया। इस अवसर पर पंचायत के संरक्षक हरीश जगवानी, अध्यक्ष बजरंग सुखवानी, सचिव गोपाल मूलचंदानी, बंटी जेसवानी, सांस्कृतिक मंत्री नरेश कारा, मीडिया सलाहकार किशन रतनानी, महिला समिति अध्यक्ष दक्षा, महासचिव पूतम रतनानी, सुनीता,मनीषा जगवानी आदि उपस्थित थे।

आज विद्युत आपूर्ति बाधित रही

छबड़ा (निसं)। केलखेड़ी जीएसएस पर लगा पावर ट्रांसफार्मर तकनीकी खराबी के चलते जल गया, जिसके चलते जीएसएस से सम्बंधित 11 केवी फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। वहीं विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया जारी है। रविवार को विद्युत आपूर्ति सुचारु करवा दी जाएगी। सहायक अभियंता जयेंद्र सिंह झाला ने बताया कि केलखेड़ी जीएसएस पर लगा पावर ट्रांसफार्मर तकनीकी खराबी के कारण जल गया है।

हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बनाते पांच गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। हाईवे पर वाहन चालकों के साथ लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बनाते पांच आरोपियों को बोरखेड़ा पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध देशी कट्टा, एक कारतूस, चाकू, मिर्ची पाउडर और एक रस्सी सहित महिलाओं के कपड़े बरामद किये हैं। पकड़े गये आरोपियों से पूछताछ में

- देशी कट्टा, चाकू, मिर्ची पाउडर व महिला के कपड़े बरामद**

- बोरखेड़ा थाना पुलिस ने की कार्यवाही**

सामने आया कि गिरोह के सदस्यों में से एक सदस्य महिला का भेष धारण करके हाईवे पर वाहन चालकों को रुकवाने व अन्य आरोपियों द्वारा मिर्ची पाउडर फेंकर व हथियारों के दम पर वाहन चालको से लूट की योजना थी। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि नया नोहरा फोरलेन क्षेत्र हाईवे पर पेट्रोल पम्प के पास कार में बैठे पांच जने हाईवे पर जिसमें से एक जना महिला का भेष धारण करके वाहन चालको को रुकवाने व अन्य उसके



कोटा के बोरखेड़ा पुलिस टीम ने हाईवे पर वाहन चालकों से लूट की योजना बनाते पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

साथी वाहन चालक से लूट की योजना बना रहे है। उक्त सूचना पर बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर मय जावा लेकर मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों के पास से अवैध देशी कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस, एक चाकू, एक खंजर व मिर्ची पाउडर, रस्सी, डंडे व महिला के कपड़े बरामद किये हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार

को भी जप्त किया। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों ने पूछताछ में अवैध हथियार कट्टा भौरा एवं सुरेन्द्र मीणा, लोकेश मीणा व सनसनी से लाना बताया है जिनके सम्बंध 0007 कोहिनुर गैंग से जुड़ा होना सामने आया है, पकड़े गये आरोपियों ने इनके कहने पर ही लूट की वारदात करना व शहर में अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना स्वीकार किया है।

उक्त गैंग के सरगना व सदस्यों के खिलाफ भी धरपकड़ अभियान जारी है।

बोरखेड़ा पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए सीमालिया निवासी मनोष सुमन (28), थाना दिगोद के कासमपुरा निवासी विकास योगी (22), उम्मेदगंज निवासी प्रदीप मीणा (21), ताथेड निवासी रोहित मीणा (24) एवं खेड़ा करीर सीमालिया निवासी अजय मीणा (19) को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है। उक्त कार्यवाही शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में की गई।

एम्बुलेंस की कमी को दूर कर मरीजों को राहत दिलवाने की मांग

कोटा, (निसं)। शहर की सरकारी एम्बुलेंस व्यवस्था की बढ़हाली के विरोध में तथा एम्बुलेंस की कमी को दूर कर मरीजों को इस गंभीर समस्या से निजात दिलवाने की मांग को लेकर राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव यश गौतम के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएमएचओ कार्यालय पर धरना देकर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा।

यश गौतम ने बताया कि कोटा में सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था बढ़हाली का शिकार है एक दर्जन से अधिक एम्बुलेंस सीएमएचओ कार्यालय में खराब हालत में खड़ी है इसका सीधा नुक्सान मरीजों को हो रहा है जिन्हें समय पर उपचार हेतु वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

इन हालातों में मरीजों के परिजनों को निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है जिसपर निजी एम्बुलेंस द्वारा मनमाना किरया वसूला जा रहा है। प्रति किमी 12 से 15 रुपये वसूल जा रहे हैं। बड़ी आइसीयू गाड़ी के तो 35 रुपये प्रति किमी वसूल रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिजनों पर यह सरकार का अत्याचार है।

मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 2



कोटा में राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव यश गौतम के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएमएचओ कार्यालय पर धरना देकर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है।

एम्बुलेंस है जिनका उपयोग केवल रेफरल एवं वीआईपी मुवमेंट में किया जा रहा है। रूटीन में मरीजों के लिए नहीं किया जाता रहा है। 104 एम्बुलेंस के टैंडर पिछले माह खत्म हो गए हैं। लेकिन अभी तक पुनः जारी नहीं किए गए हैं। इसी के विरोध में तथा इसके समाधान की मांग

को लेकर सीएमएचओ को ज्ञापन देने पहुंचे जहां सीएमएचओ के अनुपस्थित होने पर धरना दिया उसके बाद सीएमएचओ के पहुंचने पर इनके द्वारा मांगें 10 दिवस में पूरी करने के आश्वासन पर उन्हें ज्ञापन सौंपा यदि धरने पूरी नहीं होती है तो युवा कांग्रेस

द्वारा सीएमएचओ कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से हमहूद खान, रोहित मेहता, यश मेह्रा, रक्षक मालवीय, नरेंद्र सुमन, कृष्णा कुमार, अल्लाफ हुद्देन एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	दिनांक : 20.2.26
क्रमांक : एफ/तहसील/क.व./2026/1223	
नाम हस्तांतरण हेतु विजिपि आम सूचना	
कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के तहत सर्वे संख्या 7-ए कच्ची बस्ती संजय गांधी नगर का न्हा नियमन क्रमांक नियम/आवंटन/148 दिनांक 30.10.2002 को श्रीमती केलाश मितल पत्नि श्री हरिप्रसाद मितल को आवंटित किया गया था। आवंटी श्रीमती केलाश मितल का स्वर्णवास दिनांक 27.08.2025 को हो जाने के कारण विधिक वारिसनांों द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वहीरात नाम पत्र दिनांक 25.08.2022 से शाय्प पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री ओमप्रकाश मितल पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद मितल ने स्वयं के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तान्तरण प्रस्तावित है।	
अतः उक्त नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिस किस्ती की व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवे। अन्यथा बाद नि्याद उक्त आवास का नाम हस्तान्तरणश्री ओमप्रकाश मितल पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद मितल के नाम से कर दिया जायेगा।	
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	दिनांक : 20.2.26
क्रमांक : एफ/1/विभाग/क.व./2026/764	
नाम हस्तांतरण चाहने वाले आम सूचना	
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा योजना पत्र नंर मन्त्री मुखबंद संख्या 28 का आवंटन क्रमांक 4793 दिनांक 26.07.1960 को मेरार कल्याण मल, रतनपुरा एवं बोरखेड़ा कल्याण मल के नाम आवंटन किया गया था। आवंटि की कल्याण मल कि मृत्यु उपरांत उनके उत्तराधिकारी श्री रमेस्वर द्वारा प्रथम पंजीकरी दिनांक 30.01.1961 को बुराव गंध एवं उक्त मुखबंद का विकास पत्र दिनांक 5.05.1977 को बुराव नयम/हरिप्रसाद पुत्र स्व. कल्याण मल एवं राम कुशीराव बंई पत्नी स्व. श्री कल्याण मल द्वारा श्री रतनेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतनेन्द्रलाल व श्रीमती कल्या पत्नी रतनेन्द्र कुमार के नाम अलग-अलग दो किंचय पत्र से वैधान किया गया है परंपरावत् श्री रतनेन्द्र कुमार पुत्र श्री कल्यालाल व श्रीमती कल्या पत्नी रतनेन्द्र कुमार के द्वारा उक्त मुखबंद का दिनांक 05.02.1979 में दीन गंगा में श्री किरण लाल अग्रवाल पुत्र श्री य्यारसी लाल एवं श्री तारावंद बंसोरा पुत्र श्री किरण लाल एवं श्रीमती पार्वती बंसल पत्नी श्री तारावंद बंसल के पक्ष में भेजा किया गया था। इसके उपरांत श्री किरण लाल अग्रवाल पुत्र श्री य्यारसी लाल की मृत्यु दिनांक 19.05.1996 को हो जाने के अन्तर इनके विधिक वारिसना के द्वारा के श्री तारावंद बंसल पुत्र श्री किरण लाल एवं श्री तारावंद बंसल पुत्र श्री य्यारसी लाल के हितों कि रजिस्टर्ड रिलीन डी.डी. (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, मयाम पत्र, अन्तरर्दिष्ट आर्डर ई इत्यादि दस्तावेजों के आधार श्री तारावंद बंसल पुत्र श्री किरण लाल अग्रवाल एवं श्रीमती पार्वती बंसल पत्नी श्री तारावंद बंसल द्वारा उक्त मुखबंद संख्या 26 नई धामनकी नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दिनांक 28.01.1961 को जारी की गयी है।	
अतः जयिरे आम सृचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को कोई ऐतराज हो तो वो विधिपि जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे 2. अन्यथा नि्याद पुत्रने के पश्चात उक्त मुखबंद संख्या 26 नई धामनकी का नाम हस्तान्तरण श्री तारावंद बंसल पुत्र श्री किरण लाल अग्रवाल एवं श्रीमती पार्वती बंसल पत्नी श्री तारावंद बंसल के नाम स्वीकृती जारी कर दी जायेगी।	
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	दिनांक : 20.02.2026
क्रमांक : 766	
नाम हस्तांतरण चाहने वाले आम सूचना	
कोटा विकास प्राधिकरण की नई धामनंकी व्यवसायिक योजना के मुखबंद संख्या 68 का आवंटन कार्यालय मन्त्री कमेटी कोटा द्वारा श्री सगत सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह को आवंटन दिनांक 28.10.1961 को सार्दज 2700 वर्गफीट का किया गया था। जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 02.07.1962 को आवंटि के पक्ष में निष्पादित हो चुकी है आवंटि श्री सगत सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह के द्वारा उक्त मुखबंद का बैवान जयें रजिस्टर्ड किंचय पत्र से दिनांक 27.12.1972 को श्रीमती जसपाल को सेटी पत्नी श्री चरणजीत कोर सेटी को किया गया है एवं उक्त मुखबंद से लगा प्लेटफार्म 2250 वर्गफीट की रजिस्ट्री श्रीमती जसपाल कोर सेटी पत्नी श्री चरणजीत सेटी के पक्ष में निष्पादित हो चुकी है। उक्त मुखबंद की कार्यवाही के सम्बन्ध में जसपाल कोर सेटी की द्वारा एच.एच. सेटी पुत्री श्री गोपाल सिंह को मुखबारआम आलेखित किया गया था। श्री एच.एच. सेटी के द्वारा मुखबारआम के आधार पर उक्त मुखबंद एवं प्लेटफार्म का अलग-अलग भागों में जयें रजिस्टर्ड किंचय पत्र से. बैवान किया गया है जो निम्नानुसार है- - श्री एच.एच. सेटी पुत्री श्री गोपाल सिंह द्वारा जयें रजिस्टर्ड किंचय पत्र दिनांक 30.07.1987 से पूर्व से परिधम व उत्तर से दक्षिणी भाग 600 वर्गफीट का बैवान श्री गोपाल सिंह पुत्री श्री लालाराम की पक्ष में किया गया है। - श्री एच.एच. सेटी पुत्री श्री गोपाल सिंह द्वारा जयें रजिस्टर्ड किंचय पत्र दिनांक 30.07.1987 से पूर्व से उत्तर की तरफ का भाग 615 वर्गफीट का बैवान श्री लालाराम की पक्ष में किंचय किया गया है। - श्री एच.एच. सेटी पुत्री श्री गोपाल सिंह द्वारा जयें रजिस्टर्ड किंचय पत्र दिनांक 30.07.1987 से पूर्व से परिधम व उत्तर से दक्षिणी भाग 1260 वर्गफीट का बैवान श्रीमती कलिका रानी पत्नी श्री सत्यदेव के पक्ष में किया गया है। - श्री एच.एच. सेटी पुत्री श्री गोपाल सिंह द्वारा जयें रजिस्टर्ड किंचय पत्र दिनांक 30.07.1987 से परिधम दक्षिण व पूर्व परिधम भाग 1260 वर्गफीट का बैवान श्रीमती कलिका रानी पत्नी श्री सत्यदेव के पक्ष में किया गया है। - श्री एच.एच. सेटी पुत्री श्री गोपाल सिंह द्वारा जयें रजिस्टर्ड किंचय पत्र दिनांक 30.07.1987 से दक्षिण व पूर्व से रानीभा भाग 600 वर्गफीट का बैवान श्री उरणे कुमार पुत्री श्री सत्यदेव को किंचय कर दिया है। - श्री एच.एच. सेटी पुत्री श्री गोपाल सिंह द्वारा जयें रजिस्टर्ड किंचय पत्र दिनांक 30.07.1987 से दक्षिण के पक्ष में पूर्व से पश्चिमी भाग 600 वर्गफीट का बैवान श्री सुधीर पुत्री श्री सत्यदेव के पक्ष में किया गया है। - मुखबंद कोटा श्रीमती सया देवी व श्री राकेश कुमार एवं श्री रमेश्वरद्वारा द्वारा संकलन रूप से उक्त मुखबंद 1350 वर्गफीट तथा का बैवान जयें रजिस्टर्ड किंचय पत्र दिनांक 26.07.17 को श्री नवीन कस्तुरी व श्री हिरेश कस्तुरी पुत्र श्री राकेश चन्द कस्तुरी के पक्ष कर दिया गया है। - मुखबंद कोटा श्रीमती कलिका रानी व श्री सुरेश कुमार एवं श्री सुधील कुमार के द्वारा संकलन रूप से मुखबंद के 1250 वर्गफीट तथा का बैवान जयें रजिस्टर्ड किंचय पत्र दिनांक 24.09.2024 से श्री नवीन कस्तुरी व श्री हिरेश कस्तुरी की रक्षा चन्द कस्तुरी को किंचय कर दिया गया है। - मुखबंद कोटा के द्वारा 2700 वर्गफीट के नामहस्तान्तरण के आवेदन पर प्राप्त विधिक यय अनुसार कोटा के पक्ष में नामहस्तान्तरण किया जाता है। अतः जयिरे आम सृचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विधिपि जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे 2. अन्यथा नि्याद मुजनेर के पश्चात उक्त मुखबंद संख्या 68 योजना नई धामनंकी व्यवसायिक पत्र दिनांक 2700 वर्गफीट का नाम हस्तान्तरण श्री नवीन कस्तुरी व श्री हिरेश कस्तुरी पुत्र श्री राकेश चंद कस्तुरी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।	
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	

छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा टला

छबड़ा (निसं)। थर्मल पावर प्लांट में अनुसार सुबह करीब 5 बजे कोयला शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा टल खाली करके लौट रही एक मालगाड़ी गया। यहां कोयला मालगाड़ी का इंजन का लोको इंजन पटरी से उतर गया। पटरी से उतरा। गनीमत रही कि घटना गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के नहीं हुई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना	
Indian Institute of Technology Patna	
Recruitment Notice	
IIT Patna invites application from Indian citizen in prescribed format for the temporary posts of Contractual/Part-Time Sports Coaches at Sports Unit of IIT Patna. The application with copies of all certificates/testimonials etc. should reach "The Sports Officer, Gymkhana Building, IIT Patna, Bihar, Patna - 801106 " on or before 5th March 2026 by 5.00 pm. For application form and detailed advertisement please visit website www.iitp.ac.in under Notice Board section.	
Advr : - IITP/SPORTS/2025-26/31	
CBC 21366/12/0002/2526	Registrar

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा	
क्रमांक-3306	जाहिर आम सूचना
दिनांक-20.02.26	
आवास संख्या 4-पी-9 महावीर नगर विस्तार, कोटा का आवंटन मण्डल कोटा श्री संजय कुमार पुत्र श्री देवी सिंह को किया गया था। इस आवास का निम्नलिखित रूप श्री धर्मपाल शादीजा पुत्र श्री दोलतलाल शादीजा द्वारा दिनांक 08.01.2018 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री धर्मपाल शादीजा पुत्र श्री दोलतलाल शादीजा द्वारा इस आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 06.04.2019 को कोटा विकास प्रांट पुत्री श्री रूपावन्द को अपना मुखबार आम पत्रक निगुप्त किया गया। श्री पंकज मयन पुत्र श्री रुपचन्द कुमार आम श्री धर्मपाल शादीजा पुत्र श्री दोलतलाल शादीजा द्वारा मुखबार आम पत्रक की हस्तिलेख से उक्त आवास का बैवान जरिये विकास पत्र आलेखित कर दिनांक 22.01.2026 को श्री मनीष कुमार पुत्र श्री किशोर कुमार को किया गया। श्री मनीष कुमार पुत्र श्री किशोर कुमार द्वारा इस कार्यवाच में प्रतिबद्ध प्रस्ताव कर आवास संख्या 4-पी-9 महावीर नगर विस्तार, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।	
अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री मनीष कुमार पुत्र श्री किशोर कुमार का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार /व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करे। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विकास पत्र के आधार पर श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय पुत्र श्री अशोक कुमार उपकाव्याय एवं श्रीमती रोली पाण्डेय पत्नी श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय एवं श्रीमती रोली पाण्डेय पत्नी श्री अशोक कुमार उपकाव्याय एवं श्रीमती रोली पाण्डेय पत्नी श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय के नाम संकलन रूप से दर्ज कर दिया जायेगा।	
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा	

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा	
क्रमांक-3248	जाहिर आम सूचना
दिनांक-16.02.26	
आवास संख्या 1-यू-5 तलवण्डी, कोटा का आवंटन मण्डल कोटा श्रीमती गुरदेव कौर पत्नी श्री मुखबीर सिंह को किया गया था। श्रीमती गुरदेव कौर की मृत्यु उपरांत उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन दिनांक 19.03.1986 को श्री मुखबीर सिंह पुत्र श्री सलिया सिंह को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री मुखबीर सिंह पुत्र श्री सलिया सिंह द्वारा दिनांक 17.07.1990 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री मुखबीर सिंह पुत्र श्री सलिया सिंह द्वारा इस आवास का बैवान जरिये रमरामा आलेखित कर दिनांक 04.09.1997 को श्रीमती जलविन्द कौर पत्नी श्री सुखबीर सिंह रैन को किया गया। श्रीमती जलविन्द कौर पत्नी श्री सुखबीर सिंह रैन की मृत्यु दिनांक 17.01.2019 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तान्तरण हक त्याग पत्र (रिलीज डीडी) के आधार पर दिनांक 01.07.2019 को श्री सुखबीर सिंह रैनी पुत्र श्री तुलार सिंह के पक्ष में किया। तत्पश्चात श्री सुखबीर सिंह रैनी पुत्र श्री तुलरा सिंह द्वारा उक्त आवास बैवान जरिये विकास पत्र आलेखित कर दिनांक 26.04.2022 को श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय पुत्र श्री अशोक कुमार उपकाव्याय एवं श्रीमती रोली पाण्डेय पत्नी श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय को संकल रूप से किया गया। श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय पुत्र श्री अशोक कुमार उपकाव्याय एवं श्रीमती रोली पाण्डेय पत्नी श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय द्वारा इस कार्यालय में प्रतिबद्धन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1 यू-5 तलवण्डी, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में संकलन रूप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।	
अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय पुत्र श्री अशोक कुमार उपकाव्याय एवं श्रीमती रोली पाण्डेय पत्नी श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय का नाम संकलन रूप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार /व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करे। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विकास पत्र के आधार पर श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय पुत्र श्री अशोक कुमार उपकाव्याय एवं श्रीमती रोली पाण्डेय पत्नी श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय का नाम संकलन रूप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति /पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। आवास के मण्डल अभिलेख में विकास पत्र के आधार पर श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय पुत्र श्री अशोक कुमार उपकाव्याय एवं श्रीमती रोली पाण्डेय पत्नी श्री प्रशांत कुमार उपकाव्याय के नाम संकलन रूप से दर्ज कर दिया जायेगा।	
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा	

अप आवासन अयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3311

जाहिर आम सूचना

दिनांक-20.02.26

आवास संख्या 2-फ-11 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल कोटा श्री देवी लाल पुत्र श्री बदीरसद को किया गया था। श्रीदेवी कोटा पुत्र श्री बदीरप्रसाद द्वारा इस आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 27.03.1993 को मुखबारआम आम आलेखित कर श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्री श्री मदन गोपाल शर्मा को अपना मुखबार आम निगुप्त किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री देवी लाल पुत्र श्री बदीरसद मुखबार आम श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री मेशर कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा को इस आवास का पंजीयन दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में करवाया गया। श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.1993 को अपने पत्र में कर